राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25(53)/परि/कम्प्यू./2015/ 43240 जयपुर,दिनांकः 12/9/17

कार्यालय आदेश 31/2017

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 15.08.2017 को राजस्थान संपर्क पोर्टल का विस्तार करते हुए आमजन के लिए 181 हैल्पलाईन प्रारंभ की गयी है। उक्त हैल्पलाईन एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के निस्तारण के संबंध में सेंटर फॉर गुड गर्वनेंस द्वारा समय – समय जारी दिशा निर्देशों के संदर्भ में सभी विभागीय अधिकारियों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. CM Helpline पर सभी परिवादों के लिए समय सीमा निर्धारित है जिसके उपरांत परिवाद स्वतः ही अग्रिम स्तर पर अग्रेषित हो जाता है, अतः प्रतिदिन अपने स्तर पर लंबित परिवादों की जांच करना एवं उन पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना व्यक्तिगत रुप से सुनिश्चित करें।
2. CM Helpline पर सभी विषयों एवं जिम्मेदार अधिकारियों की मैपिंग विभागीय संगठन के अनुरुप मुख्यालय स्तर से की गयी है। उक्त मैपिंग में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन हेतु नोडल अधिकारी, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)/सहायक नोडल अधिकारी, सिस्टम एनालिस्ट से लिखित में निवेदन करें।
3. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा पदनाम आधारित SSO ID को चरणबद्ध रुप से deactivate किया जा रहा है अतः सभी विभागीय अधिकारी जिनको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मैप किया गया है अपनी नाम आधारित SSO ID अविलंब CM Helpline पर अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा माह अप्रेल 2017 में GIS प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु नाम आधारित SSO ID सक्रिय की गयी थी उक्त SSO ID को CM Helpline पर अद्यतन करने हेतु उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।
5. नाम आधारित SSO ID को अद्यतन किये जाने अथवा create किये जाने में किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में विभाग की कंप्यूटर शाखा को transport.it@rajasthan.gov.in पर सूचित करें।

Scanned by CamScanner

195

6. सेंटर फॉर गुड गर्वनेंस द्वारा CM Helpline/Sampark Portal पर परिवादों के निस्तारण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों (प्रति संलग्न) के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–
   a. CM Helpline/संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के निस्तारण के संबंध में की गयी कार्यवाही संक्षेप में दर्ज करें तथा कार्यवाही के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज/डेटा भी दर्ज करें।
   b. आपके स्तर पर की गयी कार्यवाही का विवरण बुलेट/नंबर के साथ क्रमिक रुप से दर्ज करें।

उक्त आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

शैलेन्द्र अग्रवाल
(परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव)

क्रमांकः एफ 25(53)/परि/कंप्यू./2015/ 43241–43 जयपुर, दिनांकः– 12/9/17

प्रतिलिपिः

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी......................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)

Scanned by CamScanner